न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 17/22 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस सख्या :– 2022/54

उनवान

1. समय सिंह पुत्र स्व0 श्री बृजेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी ग्राम धानौता तहसील व जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. सुघड सिंह पुत्र श्री खैमा सिंह जाति जाट निवासी ग्राम धानौता तहसील व जिला भरतपुर।
2. वक्तावर पुत्र घण्टोली जाति जाट निवासी धानौता तहसील व जिला भरतपुर (मृतक)
   - 2/1. महावीरी पत्नी स्व0 वक्तावर जाति जाट निवासी धानौता तहसील व जिला भरतपुर।
   - 2/2. सावित्री उर्फ साहबो पुत्री वक्तावर पत्नी श्री प्रेम सिंह जाति जाट निवासी मुरकिया तहसील खेरागढ जिला आगरा उ.प्र.
   - 2/3. प्रेमवती उर्फ खिल्ला पत्नी देवी सिंह पुत्री वक्तावर जाति जाट निवासी मुरकिया तहसील खैरागढ जिला आगरा उ.प्र.।
   - 2/4. लोकेन्द्र सिंह } पुत्र वक्तावर जाति जाट नि0 ग्राम धानौता तह0 व जिला भरतपुर।
   - 2/5. टीकम सिंह }
3. हरदेव पुत्र घन्टोली जाति जाट निवासी धानौता तहसील व जिला भरतपुर।
4. रामबाबू पुत्र घन्टोली जाति जाट निवासी धानौता तहसील भरतपुर।
5. नवाब सिंह
6. राजवीर सिंह } पुत्र बृजेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी धानौता तह0 व जिला भरतपुर।
7. अजीत सिंह
8. भवीचन्द
9. पूरन सिंह } पुत्र मोतीराम जाति जाट नि0 ग्राम धानौता तहसील व जिला भरतपुर।
10. कपूर
11. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार (भूमिधारी) तहसील भरतपुर।

..... रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर दि0 14.03.2015 मि.नं. 112/13 उनवानी गीता देवी बनाम नक्षत्र सिंह

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री महाराज सिंह डागुर उपस्थित।
2. रैस्पो0 अनुपस्थित।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

निर्णय दिनांक–07.02.2024

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 22.12.15 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी रैस्पो0 संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी अपीलाण्ट व शेष रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 218; 219 स्थिग ग्राम धानौता में 1/3 भाग वादी रैस्पो0 संख्या 01 अभिलिखित व काबिज खातेदार काश्तकार है। मौके पर मनवट हो रहा है। प्रतिवादीगण ने अपने कुछ हिस्से पर मकान बना लिये हैं व कुछ हिस्से में काश्त कर रहे हैं। इसलिये अब संयुक्त काश्त करना संभव नहीं रह गया है। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी का विधिवत विभाजन करने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई, अपीलाधीन आदेश से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बाबजूद सूचना रैस्पो0 हाजिर अदालत नहीं आये। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर, बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर खारिज योग्य है। विवादित आराजी में अपीलाण्ट के पिता ने आराजी खसरा नम्बर 219 वाके ग्राम धानौता तहसील भरतपुर के 1/9 हिस्सा को रामबाबू से पंजीकृत विक्रय पत्र के द्वारा क्रय किया था उने मरणोपरान्त यह हिस्सा आराजी केवल अपीलाण्ट के नाम नामान्तरित हुआ। क्योंकि अन्य तीनो भाईयो नवाब सिंह, राजवीर सिंह, अजीत सिंह ने अपने अपने हिस्से का तथा अपीलाण्ट की दो बहिनो ने अपने अपने हिस्से का दिनांक 26.04.13 को हकत्याग विलेख अपीलाण्ट के हक में निष्पादित कर दिया था। जिसका नामान्तकरण संख्या 766 दिनांक 05.06.13 को स्वीकृत हुआ, तभी से अपीलाण्ट विवादित आराजी खसरा नम्बर 219/0.30 के 1/9 हिस्से पर खातेदार काश्तकार चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुये, अपीलाधीन आदेश पारित हुआ एवं अपीलाण्ट को कोई सुनवाई का मौका नहीं मिला एवं अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश से अपीलाण्ट का नाम जमाबन्दी से हटा दिया। जबकि इस हिस्सा आराजी पर रैस्पो0 संख्या 5 लगायत 7 का नाम नहीं रखा जाकर केवल अपीलाण्ट का नाम ही रखा

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

जाना चाहिये था वह भी खसरा नम्बर 218 में ना होकर 219 में होना चाहिये था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध नकल छायाप्रति वयनामा के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 219/0.30 में से 1/9 हिस्सा अपीलाण्ट के पिता बृजेन्द्र सिंह द्वारा रैस्पो0 संख्या 04 रामबाबू से क्रय किया जाना प्रमाणित है एवं उक्त वयनामा के पश्चात् जमाबंन्दी संवत 2067–70 में अन्य हिस्सेदारो के साथ विवादित आराजी खसरा नम्बर 219/0.30 में अपीलाण्ट के पिता बृजेन्द्र सिंह पुत्र मौहर सिंह 1/9 हिस्से के खातेदार दर्ज हैं। इसी प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध रिलीज डीड से स्पष्ट है कि अपीलाण्ट के अन्य भाईया व बहनो द्वारा अपीलाण्ट को अपना हक त्याग किया है। जिसके फलस्वरूप अपीलाण्ट के पक्ष में नामान्तकरण संख्या 766 दिनांक 05.06.2013 स्वीकृत हुआ है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी में से अपीलाण्ट के नाम विलोपित कर दिये गये हैं, जो विधिसम्मत नहीं है। चूंकि अपीलाण्ट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एक पक्षीय कार्यवाही हुयी है एवं अपीलाण्ट को सुनवाई का मौका नहीं मिला है। लिहाजा न्याय की दृष्टि से हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर देते हुये एवं उपरोक्त दस्तावेजो के आलोक में विवादित आराजी का पुनः विधिवत विभाजन करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित समयझते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.12.2015 निरस्त किये जाते हैं एवं अपील अपीलाण्ट उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है। उभयपक्षकारान को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 29.02.2024 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 07.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

07.02.2024

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर